न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 125 / 2021	2021 / 303	30.09.2021	07.06.2022

—उनवान—

1. सतन पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी ग्रम आकोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. धनसिंह पुत्र मनोहर
2. गजराज पुत्र सरदारा
3. होशियार पुत्र सरदारा
4. मुकेश कुमार पुत्र सरदारा
5. लक्ष्मण पुत्र लल्लू
6. जोगेन्द्र पुत्र लल्लू
7. रूपसिंह पुत्र सोदान
8. कृष्णकुमार पुत्र बंशी
9. भगोती पत्नी बंशी
10. सुनीता पत्नी वीरसिंह
11. नितेश पुत्र वीरसिंह
12. रोकी पुत्र वीरसिंह
13. राजबाला देवी पत्नी राजपाल
14. रूपेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल
15. योगेश पुत्र राजपाल
16. सुनील कुमार पुत्र इन्द्राज जातियान अहीरान निवासीयान् ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला अवलर राज0।
17. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर।

—असल अप्रार्थीगण

18. विजय
19. नरेश पुत्रान किशनलाल
20. देशराज पुत्र शिम्भू
21. वेदप्रकाश पुत्र फूलसिंह
22. सिकन्दर पुत्र मातादीन
23. जगदीश पुत्र जयनारायण
24. धर्मपाल पुत्र फूलसिंह
25. नरपाल सिंह पुत्र श्योराम
26. नवल सिंह पुत्र श्योराम
27. महेन्द्र पुत्र जयनारायण
28. महावीर पुत्र जयनारायण
29. रामधन पुत्र चन्दर
30. रामफल पुत्र चन्दर
31. रामौतार पुत्र फूलसिंह
32. शेरसिंह पुत्र जयनारायण
33. सुभाष पुत्र मातादीन
34. सुरेशसिंह पुत्र जयनारायण
35. हरिसिंह पुत्र चन्दर जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
36. तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री संजय यादव —वकील प्रार्थी
02. श्री विनोद कुमार शर्मा —वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 16

कलक्टर, अलवर

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान धनसिंह वगे0 बनाम विजय वगे0 प्रकरण सं0 02/2021 अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण धनसिंह वगे0 बनाम विजय वगे0 प्रकरण सं0 02/2021 अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट विचाराधीन है। असल अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 द्वारा दिनांक 16.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं0 17 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है। नियत दिनांक 27.09.2021 से पूर्व ही बीच में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 25.08.2021 के द्वारा तहसीलदार कोटकासिम से बिन्दूवार मौका रिपोर्ट सहित पूर्ण प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किया है पीठासीन अधिकारी जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है तथा प्रकरण में आगामी पेश नियत नहीं की है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पेशी दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में प्रार्थी से ऐलानिया तौर पर कहा कि आवश्यक रूप से बहस सुनकर निर्णय कर प्रा0पत्र स्वीकार कर दूंगा। असल अप्रार्थी सं0 1 से 16 ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर ली है तथा कई बार निवास व कार्यालय, चैम्बर में आते जाते देखा है। असल अप्रार्थी सं0 1 से 16 ने ऐलानिया तौर पर न्यायालय परिसर व गांव में कहा है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है प्रकरण का फैसला उनके पक्ष में होगा। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 16 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत पेश किया। जिसमें विधिक सुनवाई कर 90 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की मंशा से प्रकरण के निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी पेशी नियत की जा रही है। पीठासीन अधिकारी नेक नियत से सुनवाई कर रहे है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.पत्र मुंतकिल के तथ्य झूठे मनगढंत व बेबुनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत पेश किया। जिसमें विधिक सुनवाई कर 90 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की मंशा से प्रकरण के निस्तारण हेतु छोटी–छोटी पेशी नियत की जा रही है। प्रार्थी प्रकरण में अप्रार्थी सं0 3 है। दिनांक 02.08.2021 को अप्रार्थी सं0 1 से 29 की ओर से श्री पवन एड0 द्वारा यू0टी0 पेश की है तथा कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.पत्र मुंतकिल के तथ्य झूठे मनगढंत व बेबुनियाद है। पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार नहीं है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करने पर इस न्यायालय को कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी व असल अप्रार्थी सं0 1 लगा0 16 की बहस सुनी गयी तथा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। चूंकि प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत पेश है, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)